

सिंहदेव समिति की अनुशंसाएं

(1)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय

क्रमांक 370/109/97/सी/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 मार्च, 1997

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 में संशोधन।

राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के संबंध में सिंहदेव समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के अंतर्गत घोषित निम्नलिखित वेतनमानों को दि. 1-4-97 से कालम (3) के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

अनु. क्र.	म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 के अन्तर्गत वेतनमान	संशोधित वेतनमान	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	विभागाध्यक्ष के अधीन मुख्य लिपिक/सहायक- 1 1320-40-1440-50-2040	1400-40-1440-50-2340	यह वेतनमान केवल प्रशिक्षित लेखापाल या 1320-2040 के वेतनमान में है की पदोन्नति मुख्य लिपिक/सहायक के पद पर होने की स्थिति में देय होगा।
(2)	सहायक ग्रेड- 2 1150-30-1210-40-1450-50-1800	1200-40-1440-50-2040	
(3)	वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के अधीन उप-मुख्य निरीक्षक वाष्प यंत्र 3000-100-3500-125-4500	3200-100-3500-125-4625	आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन एवं पदनाम परिवर्तन करने की कार्यवाही की जाये।
(4)	श्रम विभाग के अधीन जीवन बीमा संचालनालय के अंतर्गत उप-संचालक एवं अधीक्षक 3000-100-3500-125-4500	3200-100-3500-125-4625	

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	अपर संचालक 4100-125-4850-150-5300	4500-125-4750-150-5500	—
(6)	संचालक स्वास्थ्य शिक्षा के अधीन प्राध्यापक मेडिकल कालेज 4100-125-4850-150-5300	4500-125-4750-150-5500	—
(7)	मंत्रालय के शीघ्रलेखक 1400-40-1440-50-2340	1400-40-1440-50-2340-6- 2640	—
(8)	न्यायालयीन प्रयोग शाला सहायक 825-15-900-20-1220	950-25-1000-30-1210-40- 1530	—
(9)	वन विभाग के वन क्षेत्रपाल 1600-50-2300-60-2720	1640-60-2600-75-2900	—
(10)	आयुर्वेद कालेज के प्राध्यापक 3000-100-3500-125-4500	3200-100-3500-125-4625	—
(11)	सहायक सांख्यिकी अधिकारी ¹ [1400-40-1440-50-2340 -60-2640]	1640-60-2600-75-2900	—
(12)	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भू-भौतिकी/ भू-भौतिकी/ भू-सहायक 1400-40-1440-50-2340	1600-50-2300-60-2720	—
(13)	आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना के विद्युत परिचर 1150-30-1210-40-1450- 50-1800	1200-40-1440-50-2040	—
(14)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयोगशाला परिचर 775-12-871-15-1036	825-15-900-20-1220	—

1. वि. वि. क्र. 1580/109/97/सी/चार, दिनांक 4-10-97 द्वारा संशोधित।

2. उपर्युक्त संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार अर्थात् मूल नियम 22 के नीचे दिये गये ए.जी.आय. के साथ पठित मूल नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा। प्रभावित शासकीय सेवकों को इस आदेश के प्रसारण की तिथि से तीन माह की समयवाधि में संशोधित वेतनमान पर आने की तिथि बाबत अथवा अपना वर्तमान वेतनमान बनाये रखने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अंतिम माना जावेगा। निर्धारित समयवाधि में विकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर यह माना जावेगा कि कर्मचारी ने दिनांक 1-4-97 से संशोधित वेतनमान का चयन कर लिया और तदनुसार ही दिनांक 1-4-97 से उसका वेतन संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-

(आर.के. मेहरोत्रा)

उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

(2)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4 मार्च, 1997.

क्रमांक 372/109/97/सी/चार,
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, भ्वालियर,
समस्त संचागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विवरण :- दफ्तरियों को देय विशेष वेतन में वृद्धि।

सन्दर्भ :- इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1983/4377/83/नि-1/चार, दिनांक 29-12-83 एवं ज्ञापन क्रमांक 550/1000/चार/बजट-9/95, दिनांक 27-4-95।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि दफ्तरी के पद के साथ देय विशेष वेतन रुपये 20/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रुपये 50/- प्रतिमाह किया जाये।

यह आदेश दिनांक 1-4-1997 से प्रभावशील होगा।

हस्ता/-

(आर.के. मेहरोत्रा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

(3)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 1997.

क्रमांक 397/109/97/सी/चार,
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,